

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

354

आदेश

राँची, दिनांक - 23-12-2025

संचिका सं०-05/म०स०/क्र०स०-226/2019- 3917 /विभागीय निर्णयों के दृष्टिगत समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के स्तर पर सम्पादन कराये जाने वाले क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया हेतु वित्त विभागीय अधिसूचनांक-2315, दिनांक-04.10.2024 द्वारा प्रख्यापित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual (JPGSM 2024) के कंडिका-1.5, 2.1.1 एवं 2.2.1 के प्रावधानों के आलोक में समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड को Procurement Entity तथा निदेशक, समाज कल्याण को Procurement Officer प्राधिकृत किया जाता है।

2. Procurement Entity द्वारा JPGSM 2024 के कंडिका-4.1 के प्रावधानों के अक्षरशः अनुपालन में एवं समुचित स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर क्रय प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी तथा JPGSM 2024 के अन्य प्रावधानों सहित सरकार के राज्यादेशों अनुरूप आपूर्ति/वितरण संबंधी विधिवत्, नियमसम्मत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. एतद् संबंधी पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।



(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 05/म०स०/क्र०स०-226/2019- 3917 राँची, दिनांक - 23-12-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी), झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/श्री राजेश प्रजापति, संयुक्त सचिव-सह-IFA, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव